आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Special Assistance Department, Government of Maharashtra

Mahatma Gandhi De-addiction Counseling, Treatment, Rehabilitation, Promotion, and Dissemination

महाराष्ट्र का यह अनुदान नशामुक्ति परामर्श, उपचार और पुनर्वास का काम करने वाली पंजीकृत संस्थाओं के लिए है। आवेदन संस्था करती है, कोई व्यक्ति नहीं।

क्या मिल सकता है

राज्य हर राजस्व विभाग से दो, यानी कुल 12 संस्थाओं की मदद करता है। चुनी गई हर संस्था को 11 लाख रुपये का अनुदान मिलता है, जो कुल 1,32,00,000 रुपये होता है।

किसके लिए है

नशामुक्ति का काम करने वाली पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाएं, जिन्हें चलते हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं। मरीज या अन्य व्यक्ति सीधे आवेदन नहीं करते।

मुख्य शर्तें

- संस्था योजना के पृष्ठ पर बताए गए 1860 और 1950 के अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।
- संस्था को चलते हुए कम से कम 5 साल हो गए हों।
- संस्था पिछले 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट दिखा सके।
- संस्था जिले में अलग-अलग गतिविधियों से नशामुक्ति का प्रचार करती हो।

दस्तावेज़

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- पिछले 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट
- दवाओं की सूची और लाभार्थियों की सूची
- इमारत का किरायानामा और नक्शा
- विशेष कार्यक्रमों के फोटो

आवेदन कैसे करें

1. संस्था, कोई व्यक्ति नहीं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन तैयार करे और ऊपर बताए गए कागज़ात साथ लगाए।
2. आवेदन के लिए जिले में जिला परिषद के समाज कल्याण अधिकारी से मिलें।
3. अनुदान के पूरे नियम जानने के लिए योजना के पृष्ठ पर दिए सरकारी निर्णय पढ़ें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/mahatma-gandhi-de-addiction-counseling-treatment-rehabilitation-promotion-and-dissemination/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-gandhi-deaddiction-ngo-grant/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।